

राजस्थान सरकार
मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शैध संस्थान
टोक, राजस्थान
01432-247389, मो०नं०-९६६७४८९८६ ई-मेल-maapri-rj@nic.in

क्रमांक : एफ० २(२१)स्था० / स्वी०पद / एपीआरआई / २०१७ /

दिनांक

कार्यालय आदेश

निदेशालय, मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शैध संस्थान टोक में संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-४ एंव सार्विं) विभाग के अ०शा०टीप०क्रमांक प.१२(१०)वित्त/व्यय-४/२०१४ दिनांक २३-१२-२०१४ द्वारा कनिष्ठ सहायक के सृजित चार पदों में से तीन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष २०१३ में आयोजित कनिष्ठ लिपिकों की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधारा (ग्रुप-३) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.१ (६) प्र.सु. /अनु.-३/२०१७ दिनांक ०८-०२-२०१८ के अनुसरण में नियुक्ति हेतु तीन प्रकरण प्राप्त होने पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम-१९९९ के अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में पे-मेट्रिक्स लेवल-५ के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक १४६००/- रूपये प्रति माह अद्योलिखित शर्तों पर एतद द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	पिता का नाम व पता	वर्ग	मेरिट न०	रोल न०	जन्म तिथि
१	श्री कैलाश कुमार खन्नी	श्री बाबू लाल खन्नी	सामान्य	११८	३९६३८३	२५-०१-१९९५
२	श्री जगदीश सैनी	श्री झाबर मल सैनी	पिछड़ा वर्ग	१६४	२३३२८८	०९-०९-१९८६
३	श्री विकान्त सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह	पिछड़ा वर्ग	२३१	४१९८५९	२१-०६-१९९०

- उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से १५ दिवस के अन्दर उक्त पद पद अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे तथा अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधारा (ग्रुप-३) विभाग, जयपुर को वापस लौटा दिया जावेगा।
- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (फिक्स-पे) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
- अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त विभाग की अधिसूचना प०१२ (६)वित्त/नियम/०५ दिनांक १३-०३-२००६ पत्र क्रमांक प०६(६) वित्त/नियम/०५ दिनांक १३-०३-२००६ तथा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम-२००८ दिनांक १२-०९-२००८ के नियम -२१ व परिशिष्ट के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (फिक्स पे) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष भत्ता आदि देय नहीं होंगे।
- परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
- यदि अभ्यर्थी का कार्य एंव आचरण परिवीक्षा अवधि में अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो, में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एंव आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एंव अन्य से स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब कभी भी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होने पर लिपिक वर्गीय सेवा नियम, १९९९ के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।
- दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पे-मेट्रिक्स लेवल-५ के अन्तर्गत करते हुए नियमानुसार वेतन एंव अन्य भत्तों देय होंगे।
- परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
- राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ०१०३(१)वित्त/नियम/२००३ दिनांक २३-०१-२००४ एंव २७-०३-२००४ के तहत अंशदायी पेन्शन योजना के प्रावधान लागू होंगे एंव अन्य आदेश जो राज्य रारकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये हों उनके अधीन ही सेवा एंव सेवालाभ देय होंगे।
- जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे। परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एंव गत भुगतान प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- यदि अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कभी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं तो राज्य सरकार उनकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर सकेगी।

४४१

(2)

- 13 अभ्यर्थी की जन्म तिथि आपके द्वारा प्रस्तुत सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण—पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
- 14 अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय अपने गृह जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 15 अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय विवाह संबंधी/विवाह पंजीयन संबंधी एवं संतान संबंधी शपथ—पत्र निर्धारित प्रोफार्म में कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एवं दिनांक 20.11.2015 की अनुपालना में प्रस्तुत करना होगा।
- 16 अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय प्रिन्सीपल मेडिकल ऑफिसर (पी0एम0ओ0)/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. अभ्यर्थी को उपस्थिति के रामय ओ0बी0सी0 संबंधी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो पिता की आय के आधार पर जारी किये हुए होने चाहिए।

Sd/
निदेशक
मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शौध संस्थान
टॉक, राजस्थान

क्रमांक : एफ0 2(21)स्था0 / स्वी0पद / एपीआरआई / 2017 / 273-289

दिनांक 20/02/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान अधीनस्त एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप 3) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1 (6) प्र.सु./अनु.-3/2017 दिनांक 08-02-2018 के संदर्भ में।
4. उप शासन सचिव कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
5. उपशासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, टॉक।
7. उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग, टॉक।
8. प्रभारी लेखा शाखा, एमएपीआरआई, टॉक।
9. प्रभारी स्थापना शाखा, एमएपीआरआई, टॉक।
10. निजि सहायक, निदेशक, एमएपीआरआई, टॉक।
11. केशियर, एमएपीआरआई, टॉक।
12. श्री कैलाश कुमार खत्री, पुत्र श्री बाबू लाल खत्री, 229, खत्रियों का वास, चौहटन, तहसील—चौहटन, जिला बाड़मेर—344702 (राजस्थान)।
- 13'. श्री जगदीश सैनी पुत्र स्व0 श्री झाबर मल सैनी, प्लाट नं0 ख-72, भवानी नगर, मुरलीपुरा, सीकर रोड जयपुर—302039 (राजस्थान)।
14. श्री विकान्त सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, गली बहादुर सिंह, काकाजी मार्केट के पीछे, मोरी चार बाग, चौबुर्जा, भरतपुर—321001 (राजस्थान)।
15. निजि पत्रावली श्री कैलाश कुमार खत्री, पुत्र श्री बाबू लाल खत्री, कनिष्ठ सहायक, एमएपीआरआई टॉक।
16. निजि पत्रावली श्री जगदीश सैनी पुत्र स्व0 श्री झाबर मल सैनी, कनिष्ठ सहायक, एमएपीआरआई टॉक।
17. निजि पत्रावली श्री विकान्त सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, गली बहादुर सिंह, कनिष्ठ सहायक, एमएपीआरआई टॉक।
18. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शौध संस्थान
टॉक, राजस्थान